न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 73/2022
GCMS NO. 2022/664

हवाई सिंह पुत्र देवकरण उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. लीलाराम पुत्र देशराज उम्र 55 वर्ष
2. भानाराम पुत्र देशराज
   जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. सन्तोष पुत्री देशराज पत्नी सुनील निवासी मोहनपुर पोस्ट डोहरवाला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
4. कृष्णा पुत्री फूलाराम पत्नी मुरारीलाल निवासी हाल विजयपुरा तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज0
5. बदामी पुत्री फूलाराम
6. राजेन्द्र पुत्र फूलाराम
7. रामस्वरूप पुत्र फूलाराम
8. रामसिंह पुत्र देवकरण
   जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
9. शकुन्तला पुत्री फूलाराम पत्नी बनवारी निवासी विजयपुरा तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज0
10. सन्तरा पुत्री देवकरण
11. प्रकाश पुत्री देवकरण
12. मुन्नी पुत्री देवकरण
13. संतरा पुत्री देवकरण
14. सुनिता पुत्री देवकरण
15. सुमित्रा पुत्री देवकरण
16. सरोज पुत्री देवकरण
17. सावित्री पुत्री देवकरण
    जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बसई जरिये शाखा प्रबन्धक
19. उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री विजेन्द्र सैनी
2. श्री जयप्रकाश सैनी

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी संख्या 1 से 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

—: निर्णय :— दिनांक :— 22.12.2022

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि :—

1. यह कि प्रार्थी/वादी ने वाद पत्र विधिवत रूप से न्यायालय श्रीमान् जी में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी पूरी आशा है।
2. यह कि वाके ग्राम टीबा पटवार मण्डल टीबा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत 2074—2077 के हाल खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 751 रकबा 0.67 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 851 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.56 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि उक्त भूमि में प्रार्थी का 5/54 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 का है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि का मौके पर संयुक्त खातेदारान ने बांहमी बंटवारा कदीम से कर रखा है और अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन उक्त भूमि का अभी तक विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है।
5. यह कि प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का विकास करना चाहता है लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में भारी परेशानी होती है तथा सुधार कार्य के लिए ऋण लेने में परेशानी होती है तथा लगान आदि देने में भी झंझट रहता है एवं काश्त के समय कमी बेसी व अच्छी बुरी को लेकर प्रतिवादीगण हमेशा विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है। इसलिये प्रार्थी ने गत सप्ताह प्रतिवादीगण को खाता विभाजन के लिये कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी को धमकी दी कि हम तेरे हिस्से की भूमि पर मौका मिलते ही कब्जा करेगे और तेरे को भूमि काश्त नहीं करने देगें और उक्त भूमि को भू माफियाओं को बेचान करेगें और भूमाफीयाओं को कब्जा प्रार्थी के कब्जे की भूमि में करवा देगें। इस कारण प्रार्थी को वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।
6. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत [illegible] प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी संख्या 8 की बहिने है जिन्होंने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी व [illegible] के हक में हक समर्पण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया है जिसका अभी तक नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 17 के द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 8 के हक में समर्पण करने पर अब प्रार्थी का उक्त भूमि में 13/108 हिस्सा हो गया है व अप्रार्थी संख्या 8 का भी 13/108 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थी को वाद घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ।

7. यह कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने में सफल हो जाता है तथा वाद वर्णित भूमि को खाता विभाजन हुये बिना किसी अन्य को बेचान, रहन, दान आदि कर देते है तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

8. यह कि प्रार्थी का यह प्रथम दृष्ट्या मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

9. यह कि शपथ पत्र प्रार्थी पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम टीबा पटवार हल्का टीबा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 751 रकबा 0.67 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 851 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.56 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के 13/108 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करे व प्रार्थी को काश्त करने में कोई रूकावट पैदा ना करे व खाता विभाजन हुये बिना उक्त विवादित भूमि को बेचान, रहन, दान आदि नहीं करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व न ही अपने परिजनों एवं अन्य किसी से करवाये।

(ख) कि अप्रार्थी संख्या 19 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उनके समक्ष विवादित भूमि वाके ग्राम टीबा पटवार हल्का टीबा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 751 रकबा 0.67 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 851 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.56 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर की बाबत किसी [illegible] विक्रय पत्र, दान पत्र आदि पंजीकृत करवाने के लिए पेश करें तो उसे [illegible] नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 18 से 20 की तलबी मूल वाद में सम्यक रूप से होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 17 के विरूद्ध प्रार्थी का अनुतोष नहीं होने के कारण इनकी तलबी बन्द की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा इस आशय का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि :–

1. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड सं. 1 में वाद पत्र पेश करना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई गुंजाईश नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 2 जिस भांति दर्ज है रिकार्ड से सम्बन्धित है उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 3 जिस भांति दर्ज है रिकार्ड से सम्बन्धित है वाद वर्णित भूमि में प्रार्थी का 5/54 हिस्सा अर्थात 0.15 हैक्टर भूमि होना स्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 4 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सभी पक्षकारान वाहमी बंटवारे के अनुसार ही अपनी–अपनी भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 भी अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने काफी रूपये लगाकर खाद आदि डालकर अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाया है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 5 जिस भांति दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने प्रार्थी से कभी भी अच्छी बूरी भूमि के सम्बन्ध में विवाद नहीं किया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने तो स्वंय अपनी भूमि पर काफी रूपया पैसा खर्च कर भूमि को अधिक उपजाऊ बना रखा है, मौके पर प्रार्थी अपने हिस्से में आई भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग उपभोग में कोई भी दखल नहीं करता है। प्रार्थी ने झूंठा दावा पेश किया है व मनगढन्त तथ्य दावा में दर्ज किये है। प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को खाता विभाजन के ... कहा तथा प्रार्थी ने दावा में दर्ज किया है कि उसको ऋण आदि लेने में ... होती है, यह भी प्रार्थी ने झूंठ अंकित किया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में ऋण लेने व सुधार कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

करने में कानूनी कोई बाध्यता नहीं है। प्रार्थी ने झूंठे तथ्यों पर आधारित झूंठा दावा पेश किया है । प्रार्थी का जब अपनी स्वंय की बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर कब्जा है जो सभी की जानकारी में है व शान्ति पूर्वक प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा धमकी देने का भू–माफियाओं को उनके हिस्से की भूमि का बेचान करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को हैरान परेशान करने के लिए झूंठे तथ्यों पर आधारित यह झूंठा दावा पेश किया है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 6 जिस भांति दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 ने कब व कहां प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 के हिस्से में हक त्याग किया है, यह अपने दावा में कंही अंकित नहीं किया है। प्रार्थी ने खण्ड सं. 5 में झूंठे व मनगढन्त तथ्य अंकित किये है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 7 जिस भांति दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने कभी भी प्रार्थी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं की तथा ना ही कभी प्रार्थी की भूमि को रहन बेचान व दान आदि करने की धमकी दी है जब अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने प्रार्थी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करता है तो उसके हिस्से की भूमि को रहन दान बेचान करने की धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी ने झूंठे तथ्यों पर आधारित झूंठा दावा न्यायालय श्रीमानजी में पेश किया है। प्रार्थी अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज काश्त है जब प्रार्थी बाहमी बंटवारे में आई अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 8 गलत है स्वीकार नहीं है, प्रार्थी का ना तो यह प्रथम दृष्टया मामला है व न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है बल्कि दोनों ही बातें अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के पक्ष में है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं. 9 अस्वीकार है, शपथ पत्र झूंठा पेश किया गया है जो अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त [illegible]

10. यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 [illegible] है वह अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को आये दिन हैरान परेशान [illegible] रहता है। वाद वर्णित भूमि प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने वर्षो से बाहमी बंटवारा कर रखा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारीयों ने ही वाद वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया था । प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारीगण ने जिस प्रकार वाद वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा किया था उसी अनुसार पहले उनके हकपूर्वाधिकारीगण वाद वर्णित भूमि पर काबिज काश्त थे तथा अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि जो बाहमी बंटवारे में उनके हिस्से में आई है उस पर काबिज काश्त है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि बंटवारे सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी स्वंय ने अपने दावा में वाद वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा होना स्वीकार किया है तथा उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को हैरान परेशान करने के लिए झूंठे तथ्यों पर आधारित यह झूंठा दावा पेश किया है।

11. यह कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 कानून में आस्था रखने वाले भोले भाले ग्रामीण व्यक्ति है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से रंजिश रखता है इसी कारण प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध ही पेश किया तथा पाबन्द भी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को ही करवाया है जिससे अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों की हितकारी सुविधाओं से व अन्य योजनायें जो काश्तकारों का राज्य सरकार द्वारा दी जाती है से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को वंचित किया जा सके। प्रार्थी जान बुझकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को परेशान करता है। प्रार्थी झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की भूमि को हड़पना चाहता है इसी कारण प्रतिवदी सं. 1 लगायत 3 को परेशान करता है उन पर झूंठे आरोप लगाता है। झूंठे मुकदमें करता है अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 बाहमी बंटवारे में अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज काश्त है तथा काफी रूपया पैसा लगाकर खाद आदि डालकर उसको उपजाऊ बनाया है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का प्रार्थी की भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा ना ही वे प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहते [illegible] झूंठे तथ्यों पर आधारित यह झूंठा मनगढन्त दावा अप्रार्थी सं. 1 लगायत [illegible] किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

12. यह कि कानूनन किसी खातेदार को उसके हिस्से की भूमि को उपयोग उपभोग करने से बाधित नहीं किया जा सकता तथा ना ही किसी खातेदार को उसके हिस्से तक की भूमि को हस्तान्तरित करने से रोका जा सकता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित करने का पुरा अधिकार है अर्थात खातेदार को उसके कानूनी अधिकारों जो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मिले हुये हैं, से वंचित नहीं किया जा सकता है।

13. यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र पेश किया है वह गलत व झूंठा पेश किया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उंभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 खाता संख्या नया 231 राजस्व ग्राम टीबा व पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 18–06–2020 की चित्रित प्रति पेश की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2074–77 राजस्व ग्राम टीबा पटवार मण्डल टीबा के हाल खाता संख्या 231 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 751, 851, 854 किता 3 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के नाम संयुक्त दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी/वादी ने उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का वाद संख्या 140/2022 के जरिये खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम टीबा पटवार हल्का टीबा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 751 रकबा 0.67 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 851 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.56 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1. 63 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के 13/108 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

की दखल अंदाजी ना करे व प्रार्थी को काश्त करने में कोई रूकावट पैदा ना करे व खाता विभाजन हुये बिना उक्त विवादित भूमि को बेचान, रहन, दान आदि नहीं करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व न ही अपने परिजनों एवं अन्य किसी से करवाये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके राजस्व ग्राम टीबा पटवार मण्डल टीबा के हाल खाता संख्या 231 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 751, 851, 854 किता 3 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के नाम संयुक्त दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है व ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी भूमि के किसी विशेष भू–भाग का बेचान करने पर उतारू है या किसी विशेष भू–भाग पर कब्जा कर रहे है या प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने दे रहे है। मात्र प्रार्थी के मौखिक कथन से आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थी के हिस्से की भूमि को काश्त नहीं करने देना मान लेना उपयुक्त नहीं है। शपथ पत्र या अन्यथा यह सिद्ध हो कि आराजी मुतनाजा सम्पति जिसके बारे में विवाद है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या हस्तान्तरित किये जाने के खतरे में है या न्याय का उदेश्य विफल करने के अभिप्राय से उस सम्पति का व्ययन करने की धमकी दी है। केवल धमकी मानने मात्र से ही वह अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त नहीं कर सकता है। खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दावे में तय होगा। जब प्रार्थी स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का संयुक्त खातेदारान ने मौके पर बांहमी बंटवारा कदीम से कर रखा है और अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त तथा बांहमी बंटवारे में दखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पत्रावली पर राजस्व अभिलेख जो प्रस्तुत हुआ है उससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करना व काश्त करने में कोई रूकावट पैदा करना आराजी मुतनाजा पर साबित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को उसके भू–भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं पर वकील प्रार्थी की बहस के अनुसार [illegible] मामला ही प्रार्थी का प्रथम दृष्टया साबित नहीं है तो प्रार्थी को कोई अपूर्तनीय क्षति [illegible] संतुलन नहीं है। इस मत से मैं सहमत हूँ, कि जब प्रार्थी का प्रथम दृष्टया [illegible] नहीं है तो सुविधा का संतुलन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपेक्षित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। विस्तृत निर्णय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या में साबित ना होने से काबिले निरस्तनीय है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रथम दृष्टया में साबित ना होने व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 कें पक्ष में होने से प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22—12—2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद संख्या 140/2022 उनवानी हवाई सिंह बनाम लीलाराम आदि GCMS नम्बर 2022/663 के संलग्न रहे।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner